राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] **तेरहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का पहला दिवस** **[संख्या : 1**

बुधवार;

25 फरवरी, 2009

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम् ।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी ।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।

संदेश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए भाषण पर दिनांक 10 जनवरी, 2009 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :-

'अर्द्ध-शासकीय पत्र क्रमांक पी.17 (29)राभ/2008/510 दिनांक 27 जनवरी, 2009, प्रिय अध्यक्ष महोदय, आपका अर्द्ध-शासकीय पत्रांक एफ.10(1) सदन/विस/2008/3748 दिनांक 10 जनवरी, 2009 प्राप्त हुआ है। माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्यों द्वारा कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।

सादर।

सद्‌भावी,

एस.के. सिंह

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सलाहकार समिति की अभिशंसा के बिना विधायी कार्य विन्यास

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम जो संविधान के अनुच्छेद 208 के अन्तर्गत बनाए गए हैं। जो इस विधान सभा के नियम कार्य संबंधी नियमों से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान नियमों के नियम 22 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है ''सरकारी कार्य का विन्यास'' सरकार कार्य के संपादन के लिए नियत किए गए दिनों में ऐसे कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और सचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में करेगा जैसा कि कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर सदन द्वारा अवधारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपका ध्यान रूल 22 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिसके अन्तर्गत रूल 212 कार्य सलाहकार समिति का गठन और अध्यक्ष महोदय 213 में लिखा है समिति के कृत्य। उस क्रम की सिफारिश करें जिसमें सरकारी तथा अन्य कार्य पर सदन में चर्चा की जा सके। अध्यक्ष महोदय कार्य सलाहकार समिति की बैठक नहीं हुई है और अभी आप अनुमति दे रहे हैं इनको कि ये सदन में पेपर भी ले करें और पेपर ले करने के साथ-साथ इन्होंने जो रिपीलिंग बिल लेकर आये, उसको भी ले करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक तरह से कार्य सलाहकार समिति का अपमान है, जिसकी सदारत आप खुद करते हैं, यह सदन का अपमान है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि मैंने व्यवस्था संबंधी जो सवाल खड़ा किया है आप सदन की कार्यवाही स्थगित करें, कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलायें, उसके बाद अध्यक्ष महोदय आपकी सदारत में यह सदन चले। मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय कि इस तरह की परम्पराएं यहां नहीं बन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाएं जिसको बाद में लोग कहें कि राजस्थान विधान सभा जो अपनी परम्पराओं के कारण पूरे देश में जानी जाती है और आप जैसा विद्वान अध्यक्ष जो आसन पर सुशोभित हो और उसके बाद इस तरह की नियमों की धज्जियां उड़ जाएं, हम सब लोग इन नियमों से बंधे हुए हैं, आसन भी इन नियमों से बंधा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि आपको इस संबंध में निश्चित तौर पर कोई अपनी व्यवस्था देनी चाहिए और इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान रूल 28(4) की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। जिसके अन्दर भी यह लिखा गया है ''कार्य सलाहकार समिति के बिना न तो कोई सूची बन सकती है, लिस्ट ऑफ बिजनैस भी नहीं रखी जा सकती। यह लिस्ट ऑफ बिजनैस जो रखा गया है यह अध्यक्ष महोदय हमारे नियमों के और प्रक्रियाओं के विपरीत रखा गया है। इसलिए मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया है इस पर मेरा निवेदन है कि एक बार आप सदन को स्थगित करें, स्थगित करने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुला लें और बैठक बुलाने के बाद आप सदन को सुचारु रूप से चलायें यह मेरी प्रार्थना है और अध्यक्ष महोदय यह भी पहली बार हो रहा है जो दिवंगत आत्माएं जिनको हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको हम बाद में ले रहे हैं और पहले सारा बिजनैस ले रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर आप व्यवस्था दे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, इस सदन की गरिमा को कायम रखने में शेखावतों का बहुत बड़ा रोल रहा है, शेखावतों का इतिहास यहां से चलकर दिल्ली तक पहुंचा है, उपराष्ट्रपति तक बने हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि सदन को नियमों से चलाएंगे और इस तरह की स्थितियां नहीं बने।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): रोहिताश जी शेखावत साहब क्या कह रहे हैं, वह भी बता दो ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): वह भी बता देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा ही पहले दिन जब शुरू होता है सदन, औपचारिक कार्य लिए भी जाते हैं और बी.ए.सी. इसके बाद तत्काल हमने रखी है, उसमें आपके साथ विचार-विमर्श होकर के आज के बाद की सारी कार्यवाही पर चर्चा हो जाएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्णय का बहुत स्वागत करता हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय आपने देखा नहीं है कि आपने हमको जो भेजा था संख्या 20 का जो पत्रक, उसमें आपने लिखा है अस्थायी तिथि पत्री, बुधवार दिनांक 25 फरवरी, 2009 औपचारिक कार्य और शोकाभिव्यक्ति। अध्यक्ष महोदय, आपकी इस बात से व्यवस्था से, सारा सदन संतुष्ट है कि औपचारिक कार्य तो ठीक है, जैसे कोई पत्र रख दिया, अधिसूचना रख दी लेकिन अध्यक्ष महोदय आप अगर आज इस कार्य सूची को देखेंगे तो इसमें आपने आगे लिखा है ''राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन: प्रवर्तन) विधेयक, 2009'' यह औपचारिक कार्य नहीं है, यह विधायी कार्य है। इसलिए विधायी कार्य कभी भी यहां पर केवल आर्डिनेंस अगर रखना चाहें, धारीवालजी ओर्डिनेंस रखेंगे, अध्यादेश यहां पर रख सकते हैं लेकिन विधायी कार्य जिसमें हां और ना होता है जिसको सदन के पटल पर रखना होता है, उनको कार्य सलाहकार समिति के बिना स्वीकृति के यहां पर नहीं रख सकते। इसलिए सचेतक महोदय ने जो बात उठायी उसके दो पार्ट हैं एक पार्ट पर आपने व्यवस्था दी है, वह व्यवस्था है औपचारिक और आपने जो हमको भेजा है उसमें दो काम लिखे हैं औपचारिक कार्य और शोकाभिव्यक्ति। जहां तक आज आप औपचारिक कार्य एवं शोकाभिव्यक्ति करते हैं तब तक तो ठीक है लेकिन आप औपचारिक और इस काम के बाद में जो विधायी कार्य लेना चाहते हैं, विधायी कार्य हम जब तक नहीं ले सकते हैं जब तक हम कार्य सलाहकार समिति में कौनसा विधेयक आएगा, किस दिन पर विधेयक आएगा और उस विधेयक की चर्चा पर क्या होगा और अध्यक्ष महोदय इतना ही नहीं है उसके बाद में सदस्यों को अधिकार होता है, इसलिए यह विधायी कार्य आज नहीं रखा जा सकता किसी भी कीमत पर, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको विभाजित करें दो रूप में। अगर यह केवल यहां तक सीमित होता औपचारिक कार्य और शोकाभिव्यक्ति तो कोई समस्या नहीं थी। आप सदन की मेज पर जो पत्र रखना चाहते हैं रखें, जिन माननीय सदस्यों को जो दिवंगत लोग हैं उनको श्रद्धांजलि दें लेकिन कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग के बाद में क्योंकि इसमें विधायी कार्य में सदन की हां और ना होती है, जहां पर सदन की हां और ना होती है वहां पर बिना कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के आप नहीं कर सकते। यह मेरा आपसे आग्रह है और मैं यह भी कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आज तक सारे सदन आहूत होने के बाद जो पहला दिन होता है उसके सारे कागज मंगवाकर देखे हैं, कोई भी कागज ऐसा नहीं है जिसमें हो कि विधायी कार्य पर उसको रखा जाए और हां ना कराई जाए। इसलिए सदन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संविधान की बातों को ध्यान में रखते हुए, सदन की नियमावली को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे आग्रह है कि शोकाभिव्यक्ति आप करायें और शोकाभिव्यक्ति के बाद में कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में पास होने के बाद में विधेयकों के संबंध में लें क्योंकि विधेयक औपचारिक कार्य नहीं है, औपचारिक कार्य परिभाषित किए गए हैं। औपचारिक कार्य वह है जिनको संविधान के अन्तर्गत सदन में रखना आवश्यक है, जितनी अधिसूचनाएं गवर्नमेंट जारी करती हैं वह औपचारिक कार्य में आता है, वह आप रख सकते हैं, राज्यपाल महोदय का कोई संदेश आता है वह कांस्टीट्यूशन के साथ जो औपचारिक कार्य है, वह औपचारिक कार्य आप कर सकते हैं बाकी सारे काम जो औपचारिक हो वह कर सकते हैं लेकिन जो विधायी कार्य जिसको कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन और न केवल कार्य सलाहकार समिति उसके बाद में विधान सभा से पारित कराया जाना जरूरी है, उसके बाद में आपको केवल उतना ही अधिकार है कि आप उसके क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, यह अध्यक्ष को अधिकार है, उसके बिना अध्यक्ष महोदय भी इसमें ले नहीं सकते। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि सदन के नियम, परम्पराएं, संविधान की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए आज कार्यवाही आप औपचारिक कार्य और शोकाभिव्यक्ति तक ही सीमित रखें। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इस मामले में कोई राय देना चाहेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, क्या कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की गरिमा को तार-तार करने का काम हो रहा है, दो दिन के अन्दर सरकार भागना चाहती है । सरकार बहस से बचना चाहती है और इसीलिए आनन-फानन के अन्दर जिस तरह से ये कार्यसूची में जिन सब चीजों को सम्मिलित किया गया है अध्यक्ष महोदय, उसी का परिणाम है यह ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो अभी तिवाड़ी साहब ने ऑब्जेक्शन उठाया है यह बिलकुल गलत है। हमेशा से यह होता आया है कि स्पीकर साहब इस बात के लिए तय करते हैं कि शोकाभिव्यक्ति के पहले जो औपचारिक कार्य हैं उनके साथ-साथ और भी क्या काम लिये जाएं तो यह आपका ऑब्जेक्शन बिलकुल ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): औपचारिक कार्य पर आपत्ति नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): औपचारिक पर भी आपत्ति नहीं है लेकिन टेबल पर ले करने पर जो ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): केवल औपचारिक कार्य कर सकते हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): औपचारिक के अलावा भी दूसरे भी हमेशा से होते आये हैं। यह हमेशा से होता आया है। यह हमेशा से होता आया है आप ऐसी कोई नज़ीर नहीं बता सकते कि नहीं हुआ हो। हमेशा से होता आया है और इसी सदन में इस प्रकार से पचासों बार होता आया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बताओ उदाहरण एक भी बताओ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): आप देखिये ख्वाहमख्वाह में अगर यह प्रवृत्ति रही कि हमें तो बोलना है और हमें तो एतराज उठाना है तब तो कुछ कहना नहीं है ख्वाहमख्वाह में कहना नहीं है लेकिन आप यह स्वयं जानते हैं कि यह हमेशा से होता आया है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या जवाब है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का। यह सदन किसी की बपौती थोड़े ही है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): फिर इस एडवाइजरी कमेटी का मतलब क्या है अगर बिना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के कोई डिसीजन होता है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हाउस की गरिमा को छोड़ कर जो आपको करना है वो ही आप करना चाहते हैं बहुमत के आधार पर ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): बहुमत भी कहां है?

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। माननीय सदस्यगण।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि इसका अध्ययन करके दे दें। आप 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दें। आपका कोई सानी नहीं है। आप 15 मिनट के लिए स्थगित कर दें उसके बाद दुबारा बुला लें।

श्री अध्यक्ष: फिर उसके बाद आप कार्यवाही नहीं चलने देंगे अगर स्थगित कर दें तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं-नहीं चलने देंगे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आपके आदेश की हम सब पालना करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चलिये। मैं आपके इस पाइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर अपनी व्यवस्था दे दूंगा कृपया कार्यवाही चलने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे देंगे इसका मतलब क्या है? एक मिनट अध्यक्ष महोदय, विराजें आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पहले भी माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का कह करके आपने बाद में छल-कपट किया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय विरोध पक्ष के उप नेता माननीय घनश्यामजी बोल रहे हैं कृपया आप विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने अध्यक्ष महोदय, दो विभाजन किया है।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: मैंने माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी को समय दिया है कृपया आप बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने एक विभाजन किया है आप काम चलायेंगे चलायें । मैंने विभाजन किया है एक औपचारिक कार्य उसकी हमने आपत्ति नहीं की। एक शोकाभिव्यक्ति वो हमारी परम्परा है करवायें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर काम चलेगा तो इसका मतलब विधायी कार्य जो हैं जिसका हमने ऑब्जेक्शन किया है वो भी आएंगे इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप कार्यवाही चलाना चाहते हैं तो विधायी कार्य जो है उसको रोकें पहले। शोकाभिव्यक्ति तक आप सीमित रहें और फिर कार्यवाही चलायें।

श्री अध्यक्ष: मैं जब व्यवस्था दे रहा था तो आपके दल के मुख्य सचेतक ने कहा कि आप रिजर्व रख लीजिये। (व्यवधान) तो मैं दे रहा हूं न। मैं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमने तो यह कहा था कि अध्यक्ष महोदय, आपने पहले भी व्यवस्था दी थी वो आपकी व्यवस्था भी ऐतिहासिक व्यवस्था थी । आप इसका अध्ययन कर लें । 15 मिनट बाद व्यवस्था दे दें और आप रूल 22 को देखें अध्यक्ष महोदय, रूल 28(4) को देखें, रूल 212 और रूल 213 को देखें। यह चार रूल जो मैंने कोट किये हैं इनका अध्ययन करने में समय लगेगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए आप इसको 15 मिनट-आधा

(श्री राजेन्द्र राठौड़

घंटे के लिए स्थगित कर दें इसमें प्रेस्टीज कहां है या सरकारी मुख्य सचेतक कोई बात कह दें। इस तरह से कोई बात चलेगी नहीं जिस तरह से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर गोल करके जाना चाहते हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है आसन गम्भीरता से सारे मामले को देख करके आधा घंटे बाद कर लें वरना आप आसन से आपके पास 307 में रिजुडियल पॉवर हैं आप आसन से व्यवस्था दे सकते हैं कि विधायी कार्य हम स्थगित करते हैं दूसरे कार्य को लेते हैं।

व्यवस्था

परम्परा के आधार पर कार्य सलाहकार समिति की अभिशंसा के बिना भी विधायी कार्य लिया जा सकता है

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन हमेशा नियमों, प्रक्रियाओं और परम्पराओं से चलता है इस बात की दुहाई आप भी बार-बार देते हैं तो मैं एक पढ़कर आपको निवेदन करूं कि 26 सितम्बर, 2005 का जिसमें कि विधायी कार्य पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी। यह पुरानी परम्परा आपके सामने हो चुकी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल है। बिलकुल है इसलिए मैं आपके पाइंट आफ ऑर्डर को रिजेक्ट करता हूं। माननीय शांति धारीवाल जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिना बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के विधायी कार्य लेने की पहली बार परम्परा पड़ रही है। बिना बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के विधायी कार्य को विधान सभा में लेने की पहली परम्परा है यह।

राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री अध्यक्ष: माननीय शांति धारीवालजी। शांतिजी, प्लीज। सचिव, राजस्थान विधान सभा।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :-

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्षजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे व्यवस्था के प्रश्न की व्यवस्था तो कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष: मैं कर चुका हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): डिस्पोज ऑफ तो कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष: कर चुका हूं।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा): राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक 1. बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्षजी, मैं सरकार से यह जानना चाहता हं कि रायपुर ग्राम में 25 जनवरी को बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया।

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान नहीं करें इनको अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा): (2) महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय जयपुर, विधेयक, 2009

(3) मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़, विधेयक, 2009

(4) श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009

(5) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009

(6) जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009

(7) जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009

श्री अध्यक्ष: अध्यादेश। माननीय शांति धारीवाल जी।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्षजी, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ...(व्यवधान) बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा जो 25 जनवरी को खंडित हुई रायपुर ग्राम में 25 जनवरी के बाद में लगातार हम सरकार से यह प्रयास करते रहे कलक्टर और एसपी को हमने वहां मौके पर आने की गुहार की।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन:प्रवर्तन) अध्यादेश, 2009

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन:प्रवर्तन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-1) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं। माननीय श्री हेमारामजी चौधरी।

श्री रामकेश (गंगापुर): लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि वहां पर गया नहीं। न तो जिला कलक्टर और न जिला एसपी वहां मौके पर पहुंचे।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री रामकेश (गंगापुर): ×××

अधिसूचनाएं

उपनिवेशन विभाग

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : प.4(3)उप/99 दिनांक 4.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर क्षेत्र में स्थायी भूमि आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ।

2- अधिसूचना संख्या : प.4(2)उप/2007 दिनांक 4.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है ।

3- अधिसूचना संख्या : प.4(2)उप/2007 दिनांक 4.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर क्षेत्र में स्थायी भूमि आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ।

4- अधिसूचना संख्या : प.4(2)उप/07 दिनांक 4.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ।

5- अधिसूचना संख्या : प.4(4)उप/99 दिनांक 4.8.2008 जिसके द्वारा

(श्री हेमाराम चौधरी)

राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पौंग बांध विस्थापितों और उनके अन्तरीतियों को सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1972 में संशोधन किया गया है ।

6- अधिसूचना संख्या : प.4(4)उप/04 दिनांक 3.10.2008 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजकिशोर शर्मा।

परिवहन विभाग

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.6(97)परि/कर/मु./98 दिनांक 10 फरवरी, 2009 जिसके द्वारा डबल डेकर वाहन संख्या-आरजे.14-1पी-5050 को सशर्त मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर में छूट प्रदान की गई है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शांति कुमार धारीवाल।

उद्योग विभाग व खनिज विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या : आरएफसी/एफपीए-23(3) दिनांक 26 जून, 2008 जिसके द्वारा राजस्थान वित निगम कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1958 में संशोधन किया गया है एवं खनिज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : प.5(13)खान/ग्रुप-2/08 दिनांक 11.4.2008 ;

2- अधिसूचना संख्या : प.3(183)खान/ग्रुप-2/07 दिनांक 11.4.2008 ;

3- अधिसूचना संख्या : प.5(16)खान/ग्रुप-2/08 दिनांक 24.4.2008 ;

4- अधिसूचना संख्या : प.5(15)खान/ग्रुप-2/08 दिनांक 24.4.2008 ;

5- अधिसूचना संख्या : प.3(175)खान/ग्रुप-2/07 दिनांक 27.5.2008 ;

6- अधिसूचना संख्या : प.17(11)खान/ग्रुप-1/93 दिनांक 23.6.2008 ;

7- अधिसूचना संख्या : प.2(43)खान/ग्रुप-2/08 दिनांक 11.7.2008 ;

8- अधिसूचना संख्या : प.3(186)खान/ग्रुप-2/07 दिनांक 12.8.2008 ;

9- अधिसूचना संख्या : प.5(171)खान/ग्रुप-2/08 दिनांक 12.8.2008 ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

10- अधिसूचना संख्या : प.5(172)खान/ग्रुप-2/08 दिनांक 12.8.2008 ;

11- अधिसूचना संख्या : प.5(173)खान/ग्रुप-2/08 दिनांक 12.8.2008 ;

12- अधिसूचना संख्या : प.16(17)खान/ग्रुप-1/93 दिनांक 19.8.2008 ;

13- अधिसूचना संख्या : प.2(46)खान/ग्रुप-2/08 दिनांक 21.8.2008 ;

14- अधिसूचना संख्या : प.5(128)खान/ग्रुप-2/08 दिनांक 27.8.2008 ;

15- अधिसूचना संख्या : प.2(95)खान/ग्रुप-2/08 दिनांक 2.9.2008 ;

16- अधिसूचना संख्या : प.17(222)खान/ग्रुप-1/2005 दिनांक 10.10.2008;

17- अधिसूचना संख्या : प.3(46)खान/ग्रुप-2/08 दिनांक 31.10.2008 ;

18- अधिसूचना संख्या : प.2(5)खान/ग्रुप-2/2000-पार्ट दिनांक 5.9.2008 ; एवं

19- अधिसूचना संख्या : प.15(24)खान/ग्रुप-2/91 दिनांक 5.9.2008 ;- जिनके द्वारा कतिपय क्षेत्रों को अनारक्षित खनिज क्षेत्र घोषित किया गया है।

20- अधिसूचना संख्या : प.4(17)खान/ग्रुप-2/85 दिनांक 28.1.2008 जिसके द्वारा जिला झालावाड़ एवं जिला कोटा की तहसील रामगंजमण्डी में राजकीय एवं खातेदारी भूमियों में खनिज चूना पत्थर (आयामी) के खनन पट्टों के आबंटन हेतु सशर्त नीति अधिसूचित की गई है ।

21- अधिसूचना संख्या : प.12(17)खान/ग्रुप-2/2000-पार्ट-1 दिनांक 9.9.2008 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को खनन पट्टा आबंटित, निरसित अथवा नवीनीकरण किये जाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं ।

22- अधिसूचना संख्या : प.12(17)खान/ग्रुप-2/2002-पार्ट-1 दिनांक 10.10.2008 जिसके द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन किये गये हैं।

23- अधिसूचना संख्या : प.7(17) खान/ग्रुप-2/2001-1 दिनांक 10.10.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.7(17) खान/ग्रुप-2/2001 दिनांक 23.5.2008 को अधिक्रमित किया गया है ।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

24- अधिसूचना संख्या : प.18(1)खान/ग्रुप-2/2007/पार्ट/एल.ए. दिनांक 23.5.2008 ; एवं

25- अधिसूचना संख्या: प.18(1)खान/ग्रुप-2/2007/पार्ट/एल.ए. दिनांक 10.11.2008 ;

- जिनके द्वारा तेल खोज बाबत् ओ.एन.जी.सी.एल. के लिये जिला बाड़मेर की कतिपय तहसीलों की भूमि अवाप्त की गई है।

26- अधिसूचना संख्या : प.18(1)खान/ग्रुप-2/2007/पार्ट/एल.ए. दिनांक 10.11.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.18(1)खान/ग्रुप-2/2007/पार्ट/एल.ए. दिनांक 23.5.2008 में संशोधन किया गया है।

27- अधिसूचना संख्या : प.10(11)खान/ग्रुप-1/2006/पार्ट-1 दिनांक 1.12.2008 जिसके द्वारा जालिपा लिग्नाइट परियोजना हेतु बाड़मेर जिले में भूमि अवाप्त की गई है ।

28- अधिसूचना संख्या : प.10(17)खान/ग्रुप-1/2005/पार्ट-1 दिनांक 16.12.2008 जिसके द्वारा सोनड़ी लिग्नाइट परियोजना हेतु बाड़मेर जिले में भूमि अवाप्त की गई है ।

29- अधिसूचना संख्या : प.10(13)खान/ग्रुप-1/2006/दिनांक 26.12.2008 जिसके द्वारा आर.एस.एम.एम.एल. की चूना पत्थर परियोजना विशेष के लिये नागौर जिले के मेड़ता तहसील के ग्राम बासनी सिंयाचारणा और ग्राम धनापा की भूमि को डि-नोटिफाई किया गया है ।

30- अधिसूचना संख्या : प.10(13)खान/ग्रुप-1/2006/दिनांक 26.12.2008 जिसके द्वारा आर.एस.एम.एम.एल. की चूना पत्थर परियोजना विशेष के लिये नागौर जिले के मेड़ता तहसील के ग्राम बासनी सिंयाचारणा और ग्राम धनापा की भूमि अवाप्त की गई है ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शांति कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :-

सांभर साल्ट्स लिमिटेड़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-08

1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड़ का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 ;

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008

2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 ;

स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008

3- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(4) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 ; एवं

राजस्थान वित्त निगम के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2008

4- वित्त अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट ।

श्री अध्यक्ष: श्री हरजीराम बुरडक।

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-08

श्री हरजीराम (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर):×××

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी):×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी बात सुन सकता हूं कृपया व्यवधान नहीं करें। व्यवधान न करें मैं आपकी बात सुन सकता हूं लेकिन व्यवधान नहीं करें कृपया। श्रीमती बीना काक।

राजस्थान स्टेट होटल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-02

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट होटल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री रामकेश (गंगापुर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री महिपाल मदेरणा।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :-

राजस्थान भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007

1- राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम, 1975 की धारा-37(9) के अन्तर्गत राजस्थान भूमि विकास निगम का तैंतीसवा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007 ; एवं

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-08

2- जल विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल्स के नियम-114 के राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008.

श्री अध्यक्ष: श्री बृजकिशोर शर्मा।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-08

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखता हूं ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन: प्रवर्तन) विधेयक, 2009

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन: प्रवर्तन) विधेयक, 2009, श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन: प्रवर्तन) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन: प्रवर्तन) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन: प्रवर्तन) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन: प्रवर्तन) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन: प्रवर्तन) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन:प्रवर्तन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

सदन में धरना

(बहुजन समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति, माननीय सदस्यगण शोकाभिव्यक्ति, शोकाभिव्यक्ति ...(व्यवधान) माननीय सदस्यगण मैं शोकाभिव्यक्ति पढ़ रहा हूं। (व्यवधान)

माननीय सदस्यगण,

शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए पूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वैंकटरमण, इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मदन मोहन तथा पूर्व सांसद श्री ऋषि कुमार मिश्रा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

आर. वैंकटरमण श्री, पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर

पूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वैंकटरमण का जन्म 4 दिसम्बर, 1910 को तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ । आपने मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री आर. वैंकटरमण वर्ष 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद के सदस्य रहे । आप पहली, छठी तथा सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे । आप दूसरी लोक सभा के लिए भी निर्वाचित हुए लेकिन वर्ष 1957 में मद्रास विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हो जाने के कारण आपने लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया । आप वर्ष 1962 में पुन: मद्रास विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए । विधान परिषद के कार्यकाल के दौरान आप मद्रास सरकार में उद्योग, श्रम, सहकारिता, ऊर्जा तथा यातायात मंत्री रहे तथा सदन के नेता भी रहे ।

कुशल प्रशासक रहे श्री वैंकटरमण वर्ष 1967 से 1971 तक केन्द्रीय योजना आयोग के सदस्य रहे । सातवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1980 से 1984 तक केबिनेट मंत्री के रूप में आपने वित्त तथा रक्षा मंत्रालयों के दायित्वों का निर्वहन किया । श्री वैंकटरमण 31 अगस्त, 1984 को भारत के उप राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में आपने सदन की कार्यवाही का कुशलता से संचालन किया । श्री वैंकटरमण 25 जुलाई, 1987 को भारत के आठवें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । इस दौरान आपने पद की गरिमा तथा प्रभावशीलता बढाने में महत्वपूर्ण योगदान किया । आप इस पद पर 25 जुलाई, 1992 तक आसीन रहे ।

स्वतंत्रता आन्दोलनों में सक्रिय रहे श्री वैंकटरमण वर्ष 1942 से 1944

(श्री अध्यक्ष)

तक 'भारत छोडो आन्दोलन' के दौरान बंदी रहे । स्वतंत्रता आन्दोलनों में आपकी सक्रिय भूमिका के कारण आपको 'ताम्र पत्र' से सम्मानित किया गया । विधिवेत्ता रहे श्री वैंकटरमण ने वर्ष 1935 में बार की सदस्यता ग्रहण की । आप वर्ष 1955 से 1979 तक यूनाइटेड नेशन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल के सदस्य तथा वर्ष 1968 से 1979 तक सभापति रहे । सभापति के रूप में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा सम्मानित किया गया ।

श्री वैंकटरमण अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से संबद्ध रहे। आपको मद्रास विश्वविद्यालय, नागार्जुन विश्वविद्यालय और वर्धमान विश्व विद्यालय द्वारा डाक्टर आफ ला तथा रुडकी विश्वविद्यालय द्वारा डाक्टर आफ सोशल साइन्सेज की उपाधि प्रदान की गई । अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री वैंकटरमण की राजनीति तथा सामाजिक विषयों पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई। श्री कामराज की समाजवादी देशों की यात्रा के सफरनामे पर आपको सोवियत लैंड प्राइज से विभूषित किया गया । समय-समय पर आपके आलेख राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

श्री वैंकटरमण के निधन से देश ने प्रबुद्ध राजनेता, महान देशभक्त एवं उत्कृष्ट संसदविद् खो दिया है ।

श्री आर. वैंकटरमण का दिनांक 27 जनवरी, 2009 को निधन हो गया।

मदन मोहन, श्री, पूर्व सदस्य के निधन पर

पूर्व विधायक श्री मदन मोहन का जन्म 1 जुलाई, 1965 को अलवर जिले के जाटका ग्राम में हुआ । आपने जी.ए.सी. कालेज, अलवर में अध्ययन किया तथा एम.काम. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं ।

श्री मदन मोहन दसवीं राजस्थान विधान सभा में खैरथल सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे । विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे । श्री मदन मोहन अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे ।

सरल व्यक्तित्व के धनी श्री मदन मोहन राजर्षि स्वायत्तशासी महाविद्यालय छात्र संघ, अलवर के अध्यक्ष भी रहे ।

(श्री अध्यक्ष)

श्री मदन मोहन का दिनांक 5 फरवरी, 2009 को निधन हो गया ।

ऋषि कुमार मिश्रा, श्री, पूर्व सांसद के निधन पर

पूर्व सांसद एवं प्रतिष्ठित पत्रकार श्री ऋषि कुमार मिश्रा का जन्म 28 सितम्बर, 1932 को पश्चिमी पाकिस्तान के झंग जिले के मघियाना ग्राम में हुआ । आपने एम.ए. की उपाधि प्राप्त की ।

श्री ऋषि कुमार मिश्रा राजस्थान से वर्ष 1974 से 1980 तक राज्य सभा में कांग्रेस के सांसद रहे । राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य के रूप में आपने विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए अनेक देशों की यात्राएं कीं । श्री मिश्रा रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ, जयपुर, मान इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन तथा साक्षरता अभियान समिति, जयपुर के अध्यक्ष रहे । राजस्थान में साक्षरता जागरूकता में सक्रिय योगदान देने वाले श्री मिश्रा राजस्थान विश्वविद्यालय सिंडीकेट तथा राष्ट्रीय साक्षरता समन्वय समिति के सदस्य भी रहे ।

आपने कोलकाता से पत्रकारिता की शुरूआत की तथा नवयुग प्रकाशन के सम्पादक रहे । आप दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक पेट्रियाट तथा लिंक पत्रिका के मुख्य सम्पादक रहे । श्री मिश्रा नवभारत टाइम्स तथा लोकमान्य दैनिक से भी जुडे रहे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री मिश्रा आब्जर्वर के सम्पादक रहे तथा मृत्यु पर्यन्त आब्जर्वर शोध प्रतिष्ठान के निदेशक रहे ।

अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री मिश्रा ने राजस्थान के आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहलुओं पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में अनेक पुस्तकों का सम्पादन किया । आपकी पुस्तक 'बिफोर बिगनिंग आफ्टर द एण्ड' काफी सराही गई । राष्ट्रीय राजनीति एवं आर्थिक विषयों पर आपके कई लेख राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए ।

श्री ऋषि कुमार मिश्रा का दिनांक 9 जनवरी, 2009 को निधन हो गया।

मैं, अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे ।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें ।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.29 बजे गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)